

आज दिनांक 30.12.2020 को थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अभियुक्तगण व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग की जा रही थी कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि थाना भेलूपुर में पंजीकृत अभियोग मु.अ.सं. 0655/20 धारा 363, 366 भादवि से संबंधित अभियुक्त शिवराज वाल्मिकी उर्फ राजा, कंकडवावीर तिराहा पर मौजूद है किसी साधन का इन्तजार कर रहा है यदि जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है । इस सूचना पर विश्वास कर मुखबिर को साथ लेकर थाना भेलूपुर पुलिस टीम कंकडवावीर तिराहा पहुँची जहां पर मुखबिर के इशारे पर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम शिवराज वाल्मिकी उर्फ राजा पुत्र स्व० मंगल प्रसाद, निवासी म०नं० एस 17/314 नदेसर, राजा बाजार, थाना कैन्ट वाराणसी व हाल पता म०नं० एन 15/545 जिवधीपुर थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष बताया। उक्त व्यक्ति को समय 10.30 बजे कंकडवावीर तिराहा से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:\***

- अभियुक्त शिवराज वाल्मिकी उर्फ राजा पुत्र स्व० मंगल प्रसाद, निवासी म०नं० एस 17/314 नदेसर, राजा बाजार, थाना कैन्ट वाराणसी हाल पता म०नं० एन 15/545 जिवधीपुर थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष

**\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:\***

- विनोद कुमार त्रिपाठी, कां० योगेन्द्र कुमार, का० संजीव कुमार पाण्डेय थाना भेलूपुर वाराणसी ।



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

30/2020

\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 30.12.2020 को थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अभियुक्तगण व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग की जा रही थी कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि अकथा चौराहा के पास दो नाबालिग लड़के जो चोरी करते हैं, चोरी की योजना बना रहे हैं, थाना लालपुर-पाण्डेयपुर में पंजीकृत मुकदमें से भी सम्बन्धित है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर विश्वास कर मुखबिर को साथ लेकर थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस टीम अकथा तिराहा पहुँची जहां मुखबिर के इशारे पर दो नाबालिग लड़को को पकड़ गया। थाना लालपुर-पाण्डेयपुर में पंजीकृत मु0अ0स0 266/2020 धारा 457/380/411 भादवि से संबंधित दोनों नाबालिग लड़को को समय 13.10 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-\*

- दो बाल अपचारी

\*अपराधिक इतिहास:-\*

- मु0अ0स0 266/2020 धारा 457/380/411 भादवि थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी
- मु0अ0स0 340/2020 धारा 457/380/411 आईपीसी थाना सारनाथ वाराणसी

\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-\*

- उ0नि0 राहुल रंजन, उ0नि0 राकेश कुमार सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

**\*आज दिनांक 30.12.2020 को थाना भेलूपुर पुलिस टीम द्वारा तीन अभियुक्त सरवन विश्वकर्मा, अंकित यादव व माहताब गिरफ्तार, कब्जे से शस्त्र बनाने के उपकरण, अर्द्धनिर्मित शस्त्र, एक अदद तमंचा, एक अदद जिन्दा कारतूस, 06 अदद मोटर साइकिल व रू0 2500/- नगद बरामद\***

थाना भेलूपुर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि चोरी की गाडियाँ एवं अवैध शस्त्र बनाने व बेचने का काम जिवधीपुर झोपड़पट्टी में किया जाता है। उक्त सूचना पर विश्वास कर थाना भेलूपुर पुलिस टीम द्वारा उक्त स्थान पर दबिश दी गयी तो उक्त स्थान से शस्त्र बनाने के उपकरण, अर्द्धनिर्मित शस्त्र, एक अदद तमंचा, एक अदद जिन्दा कारतूस, 06 अदद मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त स्थान से तीन व्यक्तियों को पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम सरवन विश्वकर्मा पुत्र स्व0 कैलाश विश्वकर्मा R/O ग्राम मिसरौली थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर हालपता झोपड़पट्टी जीवधीपुर मैदान सोनू शर्मा के बगल में बजरडीहा थाना भेलूपुर वाराणसी, दूसरे ने अंकित यादव पुत्र वीरेंद्र यादव निवासी धरम्मरपुर, थाना करंडा जनपद गाजीपुर व तीसरे ने अपना नाम माहताब पुत्र गुलजार कुरैशी निवासी म0नं0 N13/11A1 नई बस्ती बजरडीहा थाना भेलूपुर वाराणसी बताया। उक्त तीनों व्यक्तियों को समय करीब 11.00 बजे थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-\***

1.\*सरवन विश्वकर्मा पुत्र स्व0 कैलाश विश्वकर्मा R/O ग्राम मिसरौली थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर हालपता झोपड़पट्टी जीवधीपुर मैदान सोनू शर्मा के बगल में बजरडीहा थाना भेलूपुर वाराणसी\*

अपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 675/20 धारा 411,413,419,420,467,468 भादवि

2. मु0अ0सं0 676/20 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट

2.\*अंकित यादव पुत्र वीरेंद्र यादव निवासी धरम्मरपुर, थाना करंडा जनपद गाजीपुर\*

अपराधिक इतिहास:-

1. 677/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

3. \*माहताब पुत्र गुलजार कुरैशी म0नं0 N13/11A1 नई बस्ती बजरडीहा थाना भेलूपुर वाराणसी\*

अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 0652/2020 धारा 379/411
2. मु0अ0सं0 0672/2020 धारा 379/411

**\*बरादमगी का विवरण:-\***

- 1- शस्त्र बनाने का उपकरण अर्द्ध निर्मित तमंचा 03 अदद अर्ध निर्मित देशी बंदूक, 01 अदद बाँडी व ट्रैगर गार्ड लगा हुआ .12 बोर की व 01 अदद मिस कारतूस .12 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस जिसमें 01 अदद .315 बोर व 01 अदद .32 बोर व 02 अदद लो का प्लेट बाँडी का, 02 अदद लोहे का घुमावदार प्लेट, 05 अदद स्प्रिंग छोटे बड़े, 01 अदद ड्रिल मशीन, 03 अदद ड्रील मशीन की कील, 03 अदद पेचकस, 02 अदद पेलास, 01 अदद बोर नापने व बनाने का सुम्भा, 03 अदद पत्ती की, 01 अदद हथौड़ी व 01 अदद रेती, 01 अदद लोहा कटर आरी, 01 अदद छेनी, 01 अदद सडसी, 01 अदद भट्टी मशीन

- 2- एक अदद तमंचा .315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

**3- 06 अदद मोटर साइकिल विवरण:-**

(1) कावासाकी बाँक्सर रंग काला रजि0 नं0 UP 60C 7840 इंजन नं0 JA06EGF049365,

(2) हीरो होण्डा ग्लैमर रंग काला लाल रजि0 नं0 UP 61 X 4493 चेसिस नं0  
MBLA06AGEGF12861, इंजन नं0 अपठनीय,

(3) हीरो स्पेलेण्डर PRO मोटर साइकिल व रंग काला रजि0 नं0 UP 60 V 6734 चेसिस नं0  
MBLA10A3EHA10254, इंजन नं0 अपठनीय

(4) मोटर साइकिल हीरो होण्डा स्पेलेण्डर रंग काला मोटर साइकिल रजि0 नं0 व चेसिस नं0 व  
इंजन नम्बर मिटाया हुआ अपठनीय,

(5) हीरो होण्डा एक्टिवा सफेद रंग की रजि0 नं0 UP 65 BN 9438 चेसिस नं0  
ME4JF501AEB696823, इंजन नं0 अपठनीय

(6) एवीएटर होंडा (स्कूटी) रंग काला चेसिस नंबर ME4JF213FC8314554, इंजन नंबर  
JF21E9353684 बरामद

- 4- बिक्री के 2500/- नगद

**\*गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम:\***

- प्रअमित कुमार मिश्रा 0नि0, उ0नि0 अजय कुमार वर्मा चौकी प्रभारी बजरडीहा, उ.नि. सहजानन्द श्रीवास्तव चौकी प्रभारी रेवडी तालाब, उ.नि. रवि कुमार यादव चौकी प्रभारी खोजवा, का0 अखिलेश यादव, का0 अर्जुन कुमार, का. विपिन पासवान, का0 पुनीत कुमार, का0 प्रवेश कुमार थाना भेलपुर जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



30/2020

\*प्रेस नोट\*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे \*“मिशन शक्ति”\* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 30.12.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 131 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 5257 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 792 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 127 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 2470 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा मनचलों के विरुद्ध कार्यवाही करते 90 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

30/2020

\*प्रेस नोट\*

जनपद वाराणसी में कोविड 19-महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 30-12-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए \*05 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व कुल 33 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी\* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया व बिना मास्क धारण किये \*कुल 548 व्यक्तियों से रु0-21,100/- जुर्माना\* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए \*कुल 872 वाहनों का चालान, 16 वाहनों को सीज तथा 181 वाहनों से रु0-1,70,900/- समन शुल्क वसूल\* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

30/2020

\*प्रेस नोट\*

**\*थाना रोहनिया पुलिस द्वारा 1005 अदद जिन्दा कछुआ व एक अदद वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप (WB 41 D 9571) बरामद, अभियोग पंजीकृत\***

आज दिनांक 30/12/2020 को समय लगभग 17.20 बजे थाना रोहनिया पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र व सायंकालीन गश्त करते हुए पण्डितपुर रोड पर थी कि इसी दौरान एक महिन्द्रा बोलेरो पिकअप डिवाइडर से टकराकर पलट गई जिसे मौके पर जाकर देखा गया तो पुलिस को देखकर वाहन चालक भाग गया। नजदीक पहुँचकर देखा गया तो गाड़ी के अन्दर बोरियो में कछुए लदे थे जिनकी गिनती करने पर 1005 कछुए बरामद हुए। बरामद कछुओं व वाहन की अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपये है। थाना रोहनिया पुलिस द्वारा कछुओं की सुरक्षा हेतु वन विभाग के अधिकारियों को बुलाकर कुल 1005 कछुआ जिन्दा सुपुर्द कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

### \*पंजीकृत अभियोग-\*

01.मु0अ0सं0 544/20 धारा 9,39,41,42,49,51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 थाना रोहनिया जनपद वाराणसी।

### \*बरामदगी का विवरण-\*

- 1 - कुल 1005 कछुआ जिन्दा
  - 2 - एक अदद वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप(WB 41 D 9571)
- \*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-\***

- 1 - प्रभारी निरीक्षक परशुराम त्रिपाठी थाना रोहनिया वाराणसी
- 2 - उ0नि0 सत्येन्द्र प्रताप सिंह
- 3 - उ0नि0 मनोज कुमार कोरी
- 4 - प्रशिक्षणाधीन उ0नि0 रवि मलिक
- 5 - हे0का0 विजय शंकर यादव

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।